

पश्चिम मध्य रेलवे

सं०-एमडी/कोटा/स्टोर/169/01/इम्पेनलमेंट

कार्यालय
मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, कोटा
दिनांक : 21.12.2021

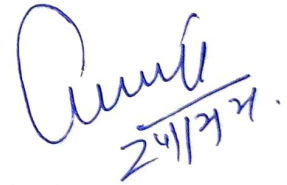
मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी
पश्चिम मध्य रेल, जबलपुर

विषय : कोटा के स्थानीय अखबारों में प्रकाशन बाबत।

उपरोक्त विषय में लेख है कि मण्डल रेलवे चिकित्सालय कोटा में दिन-प्रतिदिन की आवश्यकतानुसार दवाईयों व अन्य मदों की नगद खरीद के लिए आपूर्तिकर्ता/फर्म/डिस्ट्रीब्यूटर से MRP पर छूट के साथ उक्त मदों की आपूर्ति हेतु आपूर्तिकर्ताओं का पैनाल बनाया जाना है।

अतः आपसे अनुरोध है कि संलग्न सूचना कोटा के स्थानीय अखबारों जैसे : दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका, दैनिक नवज्योति में प्रकाशित करवाने की व्यवस्था करें।

1. सूचना/नोटिस में हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनों भाषा में प्रकाशित किया जाना है।
2. आवश्यक निधि 13000/00873604 हेड से उपलब्ध करवायी जायेगी।
3. वर्ष 2021-22 हेतु निधि उपलब्ध है।


21/12/21

मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/ कोटा

कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधीक्षक मण्डल रेल चिकित्सालय कोटा पश्चिम मध्य रेल
स्थानीय खरीद हेतु न्यूनतम दर प्रस्ताव आमंत्रण

अद्योहस्ताक्षरकर्ता की ओर से पश्चिम मध्य रेल के मंडल रेल चिकित्सालय कोटा के रोगियों हेतु दैनिक आधार पर निम्नलिखित मदों की नगद खरीद मद क्रमांक 1,2,3,4 हेतु अधिकतम खुदरा मूल्य पर (सभी करों सहित) दी जाने वाली अधिकतम छूट के आधार पर/न्यूनतम दरों पर प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते हैं।

मद क्रमांक	मद का संक्षिप्त विवरण	एक वर्ष में कर्य की जाने वाली मात्रा का अनुमानित मूल्य
1	सभी प्रकार की उच्च कोटि औषधियों (ड्राप्स, सॉल्यूषन, मलहम, आईड्रव सहित)	रुपये साठ लाख
2	सभी सजिकल उत्पाद (स्यूचर मटेरियल, ईसीजी रोल्स एवं अन्य डिस्पाजेबिल सामग्री सहित)	
3	पैथोलाजी जांच में उपयोग आने वाले सभी उत्पाद (सैमी ऑटोमैटिक फुली ऑटोमैटिक एनालाईजर एवं सैल काउंटर में उपयोग होने वाली सभी किट)	
4	रेडियोलॉजी जांच में उपयोग आने वाले सभी उत्पाद (एक्सरे फिल्म, कंट्रास्ट मीडिया सहित)	

सामान्य शर्तें :

- (क) आपूर्तिकर्ता फर्म, प्राधिकृत वितरक को राजस्थान शासन के अनुसार उक्त मदों की आपूर्ति करने की पात्रता होना अनिवार्य है।
- (ख) प्रस्तावित दरें अधिकतम दो वर्षों तक वैध रहेंगी।
- (ग) यह स्पष्ट किया जाता है कि यह निविदा सूचना नहीं है अपितु केवल उपरोक्त मदों की खरीद हेतु, आपूर्तिकर्ताओं के पंजीयन हेतु नोटिस है।
- (घ) इच्छुक आपूर्तिकर्ता उक्त प्रस्ताव हेतु निर्धारित प्रपत्र चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय / कोटा से रुपये 500/- (अदेय) का डिमांड ड्राफ्ट जो कि "SR. DFM/WCR/KOTA" के नाम देय हो, जमा कर प्राप्त कर सकते हैं।

निर्धारित प्रपत्र प्राप्त करने की तिथि : दिनांक 18 जनवरी 2022, दोपहर 12 बजे तक

- निर्धारित प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि: दिनांक 19 जनवरी 2022, दोपहर 12 बजे तक
- प्राप्त प्रपत्र सायं 05 बजे खोले जाएंगे (अवकाश होने की स्थिति में अगले कार्य दिवस में खोले जाएंगे)।

नोट : विस्तृत शर्तें निर्धारित प्रपत्र के साथ उपलब्ध रहेंगी।

Chief Medical Superintendent , Divisional Railway Hospital – Kota /WCR

Invitation proposal for lowest rates for local purchase

.....

Invitation for proposal for purchase of following item on cash(Sr. 1,2,3,4)on basis of maximum discount on MRP / minimum rates (inclusive of all taxes)on daily basis for patients of divisional railway hospital kota .

For S.no. 5 minimum rates on the basis of per kilogram per cubic meter are invited.

Item Sr. No.	Description of item	Approximate cost for purchase In one year.
1	All types of high quality medicines (Including Drops ,Solution s, Ointments & IV Fluids etc.)	60 Lack (sixty lack only)
2.	All types of surgical products (Including Suture materials ,ECG Rolls ,and other disposable products)	
3.	All type products used in pathological investigations (Including all system packs &kits required for semi automatic, fully automatic analyzers' and for cell counter	
4.	All products used in radiological investigations (Including all types of X-Rays films contrast media)	

General conditions

01. Supplier, firm, authorized distributor should be eligible for supply of above mentioned items according to Rajasthan govt.
02. Proposal rates would be valid for 02 years.
03. It is clarified that this is not tender information, this is only notice for registration of suppliers for purchase of above mentioned items.
04. Interested suppliers can obtain relevant documents from CMS/Office Kota on payment of RS-500/- by demand draft in favor of Sr. Divisional finance Manager/Kota-WCR.
 - -Date for obtaining relevant document – Till 18th January 2022, 12.00 noon.
 - -Last date of depositing documents - Till 19th January 2022, 12.00 noon.
 - -date for opening of documents – 19.01.2022, at 05.00PM (In case of holiday next working day).

Note : Detailed terms and condition are available in relevant documents.

पश्चिम मध्य रेलवे

कार्यालय
मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, कोटा
दिनांक 24.12.2021

नियम और शर्तें

दवाओं और अन्य चिकित्सा वस्तुओं की स्थानीय खरीद के लिए विक्रेताओं के पैनल के लिए

1. विक्रेता/फर्म शहर के परिसर (कोटा नगर निगम सीमा के भीतर) में स्थित होने चाहिए।
2. विक्रेताओं को वैध दवा लाइसेंस/जीएसटीएन पंजीकरण/स्थापना के पंजीकरण और दवाओं, सर्जिकल और डिस्पोजेबल उपभोग्य सामग्रियों, पैथोलॉजी आइटम, रेडियोलॉजी आइटम आदि के लिए पैन की स्व-सत्यापित प्रतियों के साथ पंजीकरण के लिए अनुरोध प्रस्तुत करना होगा।
3. योग्य जनशक्ति, उचित भंडारण और कोल्ड चेन आपूर्ति प्रणाली वाले विक्रेताओं को ही पात्र माना जाएगा।
4. उन संस्थानों से प्रदर्शन प्रमाण पत्र प्रदान किया जाना चाहिए जहां फर्म दवाओं, सर्जिकल उपभोग्य सामग्रियों आदि की आपूर्ति कर रही है।
5. पिछले तीन वर्षों के लिए फर्म का औसत कारोबार (सीए के प्रमाण पत्र द्वारा समर्थित) रेलवे अस्पताल द्वारा समान तीन वर्षों में की गई खुदरा स्थानीय खरीद के औसत कुल मूल्य का कम से कम 30% होना चाहिए। (सूचना में उल्लिखित विवरण)
6. इनमें से किसी भी मानदंड को पूरा करने में विफलता विक्रेता को वित्तीय मूल्यांकन के लिए विचार किए जाने के लिए अयोग्य बना देगी।
7. दवाओं, सर्जिकल और उपभोग्य सामग्रियों, अस्पताल के उपकरणों / उपकरणों, पैथोलॉजी आइटम, रेडियोलॉजी आइटम आदि की आपूर्ति के लिए एमआरपी पर अधिकतम छूट के प्रस्ताव स्वीकार किए जाएंगे (छूट के बाद आपूर्ति दरों में सभी कर शामिल होंगे)।
8. पंजीकृत विक्रेताओं का प्रस्ताव और पैनल दो वर्षों के लिए वैध होगा। तथापि, पैनल की वैधता के दौरान पैनल में शामिल किए गए वेंडरों सहित पंजीकृत वेंडरों के पैनल की व्यापक समीक्षा दो वर्ष में एक बार की जाएगी।
9. आदेश टेलीफोन पर दिया जाएगा, आमतौर पर 13.00 बजे। और आपूर्ति उसी दिन 16.00 बजे तक कर लेनी चाहिए। जीवन रक्षक आपात स्थितियों के मामलों में, किसी भी समय आदेश दिया जा सकता है और इसे एक छोटी सूचना पर आपूर्ति की जानी चाहिए, अधिमानतः विभाग में सूचित होने के एक घंटे के भीतर। रेली। अस्पताल। आपूर्ति के लिए समय-सीमा का कड़ाई से पालन किया जाए।

10. 24x7 सेवाओं की आवश्यकता होगी। इसका मतलब है कि विक्रेता को चौबीसों घंटे और पूरे वर्ष ऑर्डर की गई वस्तुओं की आपूर्ति करने में सक्षम होना चाहिए।
 11. आपूर्ति केवल ब्रांड (समान नाम & मेक) और मात्रा के लिए स्वीकार की जाएगी। आवश्यक वस्तुओं के लिए कोई वैकल्पिक या विकल्प स्वीकार नहीं किया जाएगा। हमारी जरूरत के हिसाब से कट स्ट्रिप्स में भी सप्लाई करना होगा।
 12. यह स्पष्ट होना चाहिए कि यह प्रस्ताव केवल स्थानीय खरीद के मामले में है। यदि आईपीडी/ओपीडी रोगियों के लिए कोई थोक आवश्यकता है तो रेल प्रशासन उसे थोक बाजार से खरीदने के लिए स्वतंत्र होगा।
 13. अत्यधिक आपात स्थिति में रेल प्रशासन द्वारा दवाओं/वस्तुओं को निकटतम उपलब्ध चिकित्सा दुकानों से उनकी प्रचलित बाजार दरों पर खरीदा जा सकता है।
 14. किसी विशेष वस्तु के लिए आपूर्ति के लिए आदेश सूचीबद्ध विक्रेताओं को रोटेशन और आवधिकता के अनुसार यानि वैकल्पिक दिन या साप्ताहिक (सोमवार से शनिवार) के अनुसार रखा जाएगा।
 15. यदि कोई विक्रेता अनुबंध की शर्त के अनुसार आपूर्ति करने में विफल रहता है तो उस विशेष वस्तु को रोटेशन की अनुक्रम सूची पर विक्रेता से प्राप्त किया जाएगा और इसे प्रदर्शन रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा या अत्यावश्यकता के मामले में इसे बाजार से खरीदा जा सकता है और अंतर जिस विक्रेता को ऑर्डर दिया गया है, उससे लागत की वसूली की जा सकती है।
 16. प्रदर्शन रजिस्टर अस्पताल में संधारित किया जाएगा। डिलीवरी करते समय विक्रेता या उसके प्रतिनिधि रसीद रजिस्टर / रसीद चालान पर हस्ताक्षर (तारीख और समय के साथ) करेंगे।
 17. दो बोली प्रणाली होगी- तकनीकी और वित्तीय।
- (ए) 2 अधिकारियों की एक समिति (एक चिकित्सा विभाग से और दूसरी स्टोर विभाग से) जो दवाओं, सर्जिकल वस्तुओं और उपभोग्य सामग्रियों की स्थानीय खरीद के लिए विक्रेताओं के रूप में पंजीकरण के लिए विक्रेताओं की सूची की सिफारिश करेगी। मौजूदा पैनल के विक्रेता और पंजीकरण के लिए आवेदन करने वाले किसी भी नए विक्रेता पर समिति द्वारा विचार किया जाएगा। समिति किसी भी विक्रेता को पंजीकरण के लिए सिफारिश करने से पहले विक्रेताओं के पंजीकरण की स्थापना का निरीक्षण करेगी और प्रमाण-पत्रों का सत्यापन करेगी।

(बी) विक्रेताओं के पैनल को अंतिम रूप देने के बाद, सभी पंजीकृत विक्रेताओं से वित्तीय बोलियां खोली जाएंगी। चिकित्सा विभाग और लेखा विभाग के प्रतिनिधि की उपस्थिति में वित्तीय बोली खोलने की पारदर्शी प्रक्रिया तैयार की जाएगी और उसका पालन किया जाएगा। आवश्यकताओं के विभिन्न समूहों के लिए वित्तीय बोलियां आमंत्रित की जाएंगी उदा। एमआरपी पर अधिकतम छूट की पेशकश करने वाले दवा, सर्जिकल उपकरण और उपभोग्य वस्तुओं के विक्रेताओं को अलग-अलग समूह के लिए अलग-अलग ऑर्डर करने पर विचार किया जाएगा। यदि दो से अधिक विक्रेता एल1 दर की पेशकश कर रहे हैं, तो वैकल्पिक दिन/सप्ताह के आधार पर एक घूर्णी नीति अपनाई जाएगी। पैनल में अन्य सभी वेंडरों को काउंटर ऑफर (एल1) दिया जाएगा।

18. सक्षम प्राधिकारी के पास आपूर्तिकर्ता को बिना किसी पूर्व सूचना के इस खरीद प्रक्रिया को किसी भी स्तर पर रोकने/रद्द करने के सभी अधिकार सुरक्षित हैं।
19. विक्रेताओं/आपूर्तिकर्ताओं का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं होने पर यह अनुबंध/पंजीकरण किसी भी समय विभाग के प्राधिकारी मंडल रेलवे पश्चिम मध्य रेलवे द्वारा रद्द किया जा सकता है।
20. अनुबंध नवीनतम संशोधनों के साथ आईआरएस नियमों और शर्तों के अधीन है।
21. सभी विवाद कोटा क्षेत्राधिकार के अधीन हैं।

Manish
24/11/21
वरि.मं.चिकि.अधि./स्टोर/कोटा

B. Naray
फार्मासिस्ट/स्टोर/कोटा

Aras Arun

Aras
24/12/21

Aras
24/11/21

WEST CENTRAL RAILWAY

Office Of The
Chief Medical Supdt.
Div. Rly. Hospital/WCR/Kota

TERMS AND CONDITIONS

FOR EMPANELMENT OF VENDORS FOR LOCAL PURCHASE OF MEDICINES AND OTHER MEDICAL ITEMS

1. The Vendors/ firms should be located in the city premises (within Kota Municipal Corporation limit).
2. Vendors have to furnish request for registration with self-attested copies of valid drug license/ GSTN registration/ registration of establishment & PAN for Medicines, Surgical and Disposable Consumables, Pathology items, Radiology items etc.
3. Vendors having qualified manpower, proper storage and cold chain supply system, Only will be considered as eligible .
4. Performance certificate from the institutions where the firm has been supplying medicines , surgical consumables etc should be provided .
5. Average turnover of the firm (supported by CA's certificate) for the last three years should be at least 30% of the average total value of retail local purchase procurement made by the Railway hospital in the same three years. (details mentioned in notice)
6. Failure to meet any of these criteria shall render the vendor in-eligible to be considered for financial evaluation.
7. For supply of Medicines, Surgical and Consumables, Hospital appliances/instruments, Pathology items, Radiology items etc. offers of the maximum rebate on MRP will be accepted (Supply rates after rebate will be inclusive of all taxes).
8. The offer and panel of registered vendors will be valid for two years. However comprehensive review of the panel of registered vendors including those vendors who have been included in the panel during the validity of the panel shall be done once in two years.
9. The order will be placed telephonically, usually at 13.00 hrs. and supply must be made on the same day by 16.00 hrs. In cases of life saving emergencies, order may be placed at any time and it should be supplied on a short notice preferably within one hour of being intimated at Div. Rly. Hospital. Timeline for supply be strictly followed.
10. Services will be required 24x7. It means vendor should be able to supply the ordered items round the clock and throughout the year.
11. Supply will be accepted only for brands (same name, make & salt) and quantity as ordered by the Railway. No alternate or substitute will be accepted for the required items. Supply has to be made in cut strips also, as per our need.
12. It should be clear that this offer is for case to case local purchase only. If there is any bulk requirement for IPD/OPD patients the Railway Administration will be at liberty to purchase the same from wholesale market .
13. In extreme emergency the drugs/items may be purchased by the Railway Administration from nearest available medical shops at their prevailing market rates.

14. Order for supply against a particular item will be placed on the listed vendors as per rotation and periodicity i.e. alternate day or weekly (Monday to Saturday).
15. If any vendor fails to supply as per contract condition that particular item shall be procured from the vendor next on the sequence list of rotation and it will be recorded in performance register or in case of urgency it can be purchased from the market and difference in cost may be recovered from the vendor to whom the order is placed.
16. Performance register will be maintained in hospital. The vendor or it's representative while making deliveries shall sign (with date and time) on the receipt register/receipted challan.
17. There shall be a two bids system- Technical and financial .
(A) A committee of 2 officers (one from Medical Department and another from store department) who shall recommend the list of vendors for registration as vendors for local purchase of medicine , surgical items and consumables. Vendors on the existing panel and any New vendors who apply for registration shall be considered by the committee. The committee shall inspect the establishment of the registration of the vendors and verify credentials before recommending any vendor for registration.

(B) After finalization of the panel of Vendors, financial bids from all registered vendors shall be opened. Transparent procedure for opening of financial bids in presence of representative of medical department and accounts department shall be formulated and followed. Financial bids shall be called for different groups of requirements e.g. medicine, surgical equipment and consumables vendors offering maximum discount on MRP shall be considered for ordering, individually for different group. In case more than two vendors are offering L1 rate , a rotational policy to be adopted on alternate day /week basis . Counter offer (L1) will be given to all other vendors in panel.
18. Competent authority has all rights reserved to stop/cancel this procurement process at any stage without any prior information to supplier.
19. This contract/registration can be cancelled at any time by the Competent Authority of Div. Rly. Hospital, WCR, Kota, if the performance of the vendors/suppliers is not satisfactory.
20. The contract is subject to IRS terms & conditions with latest amendments.
21. All disputes are subject to Kota jurisdiction.

*Praveen
pharmach*

*Praveen
24/12/21*

*Praveen
24/12/21*

*Praveen
24/12/21*